अध्याय

1

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 48 ए तथा अनुच्छेद 51 ए(जी) के द्वारा राज्य तथा सभी नागरिकों के लिए कर्तव्य निर्धारित किए हैं जो कहता है कि "राज्य पर्यावरण की रक्षा करने एवं सुधार करने तथा देश में जंगलों एवं वन्य जीवों की संरक्षा करने" और "जंगलों, झीलों व नदियों एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने तथा उसे बेहतर बनाने का प्रयास करेगा"।

तेजी से आर्थिक वृद्धि एवं विकास प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों के प्रभाव, जो प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति पर गहरा प्रभाव डालते है, को भारत में पर्यावरण संबंधी समस्याओं में से एक माना गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) भारत के पर्यावरण एवं वानिकी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने, उन्नयन, समन्वयन तथा देखरेख हेतु एक नोडल एजेंसी है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता का स्वीकार करते हुए, एमओईएफएंडसीसी ने अनेक नियामक एवं उन्नति संबंधी उपाय किए हैं।

1.2 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण अनापत्ति

प्रर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग इसकी अनापत्ति के पूर्व किसी परियोजना के पर्यावरण संबंधी प्रभाव की पहचान हेतु की जाती है। ईआईए प्रस्तावित परियोजना के लाभकारी एवं प्रतिकूल परिणामों दोनों की सुव्यवस्थित ढंग से जाँच करता है तथा सुनिश्चित करता है कि परियोजना रूपरेखा के दौरान पर्यावरण संबंधी प्रभाव एवं शमन के उपायों को ध्यान में रखा जाता है। परियोजना योजना चक्र में पर्यावरण संबंधी प्रभावों एवं शमन पर पहले से ही विचार करने के अनेक लाभ हैं जैसे पर्यावरण की रक्षा, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग तथा परियोजना के सम्पूर्ण समय और लागत को बचाना। समुचित ढंग से संचालित ईआईए समुदाय भागीदारी को बढ़ावा देकर संघर्ष को कम करता है, निर्णायकों को सूचित करता है तथा पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत परियोजनाओं के लिए आधार तैयार करने में सहायता भी करता है।

जब योजना आयोग ने तत्कालीन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नदी-घाटी परियोजनाओं की पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण से जाँच करने के लिए कहा तब भारत में ईआईए की शुरुआत 1976-77 में की गई। बाद में उन परियोजनाओं, जिनमें सार्वजनिक निवेश बोर्ड की अनापत्ति आवश्यक थी, को पूरा करने के लिए इसमें विस्तार किया गया। ये प्रशासनिक निर्णय थें एवं इनमें न्यायिक समर्थन का अभाव था। भारत सरकार (जीओआई) ने 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। एमओईएफएंडसीसी ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जनवरी 1994 के अपने अधिसूचना के द्वारा कुछ विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनापत्ति को अनिवार्य कर दिया। तद्पश्चात, एक दशक की अवधि में पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, एमओईएफएंडसीसी ने सितम्बर 2006 (ईआईए अधिसूचना 2006) में पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना अधिसूचित की।

किसी भी परियोजना शुरु करने से पहले ईआईए उपयोग किया जाएगा, परियोजनाओं की पर्यावरण अनापत्ति देने की प्रक्रिया ईआईए अधिसूचना 2006 में परिभाषित किया गया है। इन चार चरणों में अर्थात जांच, कार्यक्षेत्र, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन शामिल है। इसका अनुबंध में संक्षिप्तीकरण कर दिया गया है।

1.3 परियोजनाओं तथा मूल्यांकन समितियों का वर्गीकरण

ईआईए अधिसूचना 2006 ने परियोजनाओं की प्रारंभिक क्षमता पर आधारित, जैसा कि ईआईए अधिसूचना की अनुसूची में दिया गया है, परियोजनाओ को दो वर्गों - ए और बी में वर्गीकृत किया है।

ईआईए अधिसूचना 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं अथवा गतिविधियों तथा मौजूदा परियोजनाओं अथवा गतिविधियों का विस्तारण तथा आधुनिकीकरण में संबंधित प्राधिकारियों, जो कि सूची में वर्ग 'ए' के अंतर्गत आनेवाले परियोजनाओं के लिये एमओईएफएंडसीसी तथा राज्य स्तर पर उक्त सूची में वर्ग 'बी' के अंतर्गत आनेवाले परियोजनाओं हेतु राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) है, से पूर्व ईसी आवश्यक होती है।

एमओईएफएंडसीसी ने क्षेत्र विशिष्ट ईएसी की सिफ़ारिशों पर पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की। एमओईएफएंडसीसी द्वारा स्थापित विभिन्न विशिष्ट ईएसी[1] है: (ए) कोयला खनन; (बी) औद्योगिक परियोजनाएं;(सी) मौलिक संरचना तथा विविध परियोजनाएं एवं तटीय नियामक क्षेत्र (सी आर ज़ेड);(डी) खनन परियोजनाएँ;(ई) नवीन निर्माण परियोजनाएं एवं

[1] रक्षा परियोजनाओं के लिए एक और ईएसी है। तथापि, रक्षा परियोजनाओं का ब्यौरा, ईएसी के गठन तथा इस ईएसी की बैठक का कार्यवृत्त सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा जाता है।

औद्योगिक परिसम्पतियाँ;(एफ़) परमाणु परियोजनाएं;(जी) नदी घाटी तथा जलविद्युतीय परियोजनाएं; और (एच) थर्मल परियोजनाएं।

एसईआईएए ने राज्य अथवा केंद्र राज्य क्षेत्र स्तर के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की सिफ़ारिशों पर अपने निर्णय लेती है। राज्य अथवा केंद्र राज्य क्षेत्र स्तर पर एसईएसी का गठन समान संरचना सहित केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से परामर्श के बाद किया जाता है। विधिवत रूप से गठित एसईआईएए अथवा एसईएसी की अनुपस्थिति में वर्ग 'बी' परियोजना को वर्ग 'बी' परियोजना के रूप में मूल्यांकन किया जाता है।

ये समितियाँ केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाती हैं और ईआईए अधिसूचना के परिशिष्ट VI में दिए गए पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले पर्यावरण गुणवत्ता के क्षेत्र में केवल पेशेवर व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों, परियोजना प्रबंधन में क्षेत्रीय विशेषज्ञों, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया विशेषज्ञों, जोखिम मूल्यांकन विशेषज्ञों, वनस्पति एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में जीव विज्ञान विशेषज्ञों, वानिकी तथा वन्य जीवन विशेषज्ञों तथा परियोजना मूल्यांकन में अनुभव प्राप्त पर्यावरण संबंधी आर्थिक विशेषज्ञ से मिलकर बनी होती है।

1.4 एमओईएफएंडसीसी द्वारा प्रदत्त वर्गवार पर्यावरण अनापत्ति

वर्ग ए परियोजनाओं के लिए कैलेंडर वर्ष 2008 से 2015 (जुलाई 2015 तक) के दौरान एमओईएफएंडसीसी द्वारा प्रदत्त क्षेत्रवार पर्यावरण अनापत्ति तालिका 1.1 में दी गई है। इन विवरणों (अगस्त 2015[2]) को एमओईएफएण्डसीसी के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) सेल द्वारा प्रदान किया गया। इस पर टिप्पणियों अध्याय 2 के पैरा 2.11 में बताया गया है।

तालिका 1.1: एमओईएफएंडसीसी द्वारा प्रदत्त क्षेत्रवार ईसी

क्षेत्र	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015[3]	कुल
कोयला खनन परियोजनाएं	73	60	33	25	25	45	43	39	343
औद्योगिक परियोजनाएं	785	539	295	219	265	233	143	171	2,650
मौलिक संरचना तथा विविध परियोजनाएं एवं सीआरज़ेड	184	110	99	80	123	102	62	84	844
खनन परियोजनाएं (गैर-कोयला)	199	180	85	58	69	87	225	89	992

[2] परियोजनाओं के पर्यावरण अनापत्ति आंकड़े की पुष्टि करने के लिए एमओईएफएंडसीसी को बार-बार अनुरोध किया गया था। अक्टूबर 2016 में, एमओईएफएंडसीसी उल्लेख किया है कि क्षेत्रवार और वर्षवार विवरण के बिना 4534 ईसीओ को 2008 से जुलाई 2015 के दौरान दी गई थी।

[3] जुलाई 2015 तक।

क्षेत्र	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015[3]	कुल
नव निर्माण तथा औद्योगिक परिसम्पति परियोजना	580	252	139	63	81	209	108	70	1502
परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं	1	1	1	0	4	1	0	0	8
नदी घाटी एवं जलविद्युतीय परियोजनाएं	11	11	10	11	4	10	3	8	68
थर्मल ऊर्जा परियोजनाएं	83	69	75	48	46	15	17	13	366
कुल	**1,916**	**1,222**	**737**	**504**	**617**	**702**	**601**	**474**	**6,773**

क्षेत्रवार, राज्यवार और वर्षवार विवरण आगामी अध्याय में 6773 ईसीओं के शामिल की गयी संख्या पर आधारित है।

1.5 संगठनात्मक स्थापना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) की अगुवाई सचिव करता है जो एमओईएफएंडसीसी के प्रभारी मंत्री को रिपोर्ट करता है। एमओईएफएंडसीसी के प्रभाव मूल्यांकन प्रभाग को उद्योग, कोयला खनन तथा मौलिक संरचना/निर्माण, गैर कोयला खनन, नदी घाटी एवं ताप विद्युत क्षेत्रों के विविध परियोजनाओं के मूल्यांकन, का काम सौंपा जाता है। पर्यावरण अनापत्ति तथा स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी का काम सौंपा जाता है। क्षेत्र विशेष ईएसी की सिफारिशों के आधार पर एमओईएफएंडसीसी के मंत्री ईसीओ की अनुमोदित/अस्वीकृत करते है।एमओईएफएंडसीसी में निगरानी कक्ष तथा इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों की अनुपालना की देखरेख करते हैं। एसपीसीबी/यूटीपीसीसी के साथ सीपीसीबी रोकथाम और पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

1.6 पश्च पर्यावरण अनापत्ति की निगरानी

किसी परियोजना के विभिन्न पहलुओं की जांच के पश्चात, एमओईएफएंडसीसी अनुबंधित पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के अध्याधीन पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करता है। इन सुरक्षा उपायों की पर्याप्ता सुनिश्चित करने तथा आवश्यक मध्य-क्रम सुधार करने के लिए, यदि कोई हो तो, एमओईएफएंडसीसी स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी का उत्तरदायित्व लेता है। परियोजना प्रबंधन के लिए अनुबंधित पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों तथा निबंधनों के संदर्भ में संबंधित नियामक अधिकारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 जून तथा 1 दिसम्बर को अर्द्ध-वार्षिक अनुपालना रिपोर्टों की हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस प्रकार का नवीनतम अनुपालना रिपोर्ट संबंधित नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर भी दर्शाई जानी चाहिए।

1.6.1 एमओईएफएंडसीसी के क्षेत्रीय कार्यालय

स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी एमओईएफएंडसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) द्वारा की जाति है। शुरुआत में, भारत सरकार ने जारी वानिकी विकास परियोजनाओं तथा वन संरक्षण पर विशेष बल सहित योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन करने और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन्य भूमि के व्यपवर्तन से जुड़े प्रस्तावों की तैयारी में राज्य/केंद्र शासित प्रेदेश सरकारों को सलाह देने के लिए 1986 में नई दिल्ली में एक मुख्यालय इकाई सहित बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ तथा शिलोंग में पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की। प्रदूषण नियंत्रण तथा देश में परियोजनाओं एवं गतिविधियों के पर्यावरण प्रबंधन सहित पर्यावरण संबंधी प्रबंधन के सभी पहलुओं से संबंधित बढ़ते कार्य को देखते हुए तथा 2011 में आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखकर बाद में चंडीगड़ (1988), रांची (2013) एवं देहरादून, नागपुर और चेन्नई (2014-15) में पाँच और क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई। इस प्रकार, कुल 10 क्षेत्रीय कार्यालय एमओईएफएंडसीसी के अधीन कार्य कर रहे हैं।

1.6.2 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), एक सांविधिक संगठन जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितम्बर, 1974 में गठित की गई। आगे, वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सीपीसीबी को अधिकार एवं कार्य सौंपें गए। यह क्षेत्र विन्यास के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के संबंध में मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। सीपीसीबी के प्रधान कार्य, जैसा कि जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974, तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में उच्चारित हैं,(i) जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और न्यूनीकरण के द्वारा राज्यों के विभिन्न स्थानों में नदियों तथा कुओं में स्वच्छता को बढ़ावा देना; तथा (ii) वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाना एवं देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रित करना और कम करना। वायु गुणवत्ता निगरानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीपीसीबी के अधिदेशों में से एक जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी एवं सांख्यिकीय आकड़े एकत्र करना, मिलाना तथा प्रसारित करना है। अतः, जल गुणवत्ता निगरानी (डबल्यूक्यूएम) एवं निगरानी सीपीसीबी की परिधि के अंतर्गत आते हैं।

1.6.3 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) राज्य में मुख्य रूप से जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (उपकर) अधिनियम, 1977 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के

अंतर्गत कुछ प्रावधानों और उसमें इस प्रकार के जैव चिकित्सा अपशिष्ट (एमएंडएच) नियमावली, 1998, खतरनाक अपशिष्ट (एमएंडएच) नियमावली, 2000, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2000 इत्यादि के अंतर्गत बनाए गए नियमों को मिलाकर विभिन्न पर्यावरण संबंधी विधानों का कार्यान्वयन कर रही है।

सीपीसीबी ने जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अपने अधिकार और कार्य समय समय पर विविध संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों (यूटीपीसीसी) को प्रत्यायोजित की हैं।

1.7 हमने इस विषय का चयन क्यों किया

विकासशील प्रयासों का पर्यावरण तथा परिस्थिति विज्ञान के संरक्षण के साथ तालमेल बैठाने में ईआईए के महत्व पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से बल दिया गया है। जैव वैज्ञानिक विविधता पर करार (सीबीडी)[4] प्रभाव मूल्यांकन को यह सुनिश्चित करने, कि विकास मस्तिष्क में जैव विविधता के साथ नियोजित तथा कार्यान्वित की जाती है। में सहायक एक महत्वपूर्ण औज़ार है।

पिछले कुछ वर्षों में ईसीज प्रदान करने में विलम्ब, ईआईए रिपोर्टों की गुणवत्ता, पर्यावरण पर परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन, सार्वजनिक परामर्श की प्रभावशीलता, पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों की अनुपालना की देखरेख से संबंधित विभिन्न मामलें थें। हम लोगों ने पाया कि पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया तथा उत्तर स्वीकृति निगरानी के संबंध में ईआईए की अधिसूचना में बड़ी संख्या में अदालत के फैसले, संसदीय प्रश्न तथा संशोधन हुए।

उपरोक्त को देखते हुए हम निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए इस विषय को शुरु करने का फैसला किया है।

1.8 लेखापरीक्षा उद्देश्य

पर्यावरण अनापत्ति तथा उत्तर स्वीकृति निगरानी पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करना चाहता है कि:

i. पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप है पर्याप्त, न्याय संगत और पारदर्शी है।

[4] 1992 रियो अर्थ समिट में भारत सहित 150 देशों द्वारा हस्ताक्षरित जैव वैज्ञानिक विविधता पर करार सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु समर्पित है। इसकी कल्पना संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 21 के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए इसे एक व्यवहारिक उपकरण के रूप में की गई थी।

ii. उत्तर पर्यावरण अनापत्ति निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण अनापत्ति पत्र में निर्धारित शर्तों तथा ईआईए रिपोर्ट में की गई प्रतिबद्धता का पालन करते हैं पर्याप्त है।

1.9 लेखापरीक्षाक्षेत्र, कार्यप्रणाली और नमूना

2006 में एमओईएफएंडसीसी द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना ने आठ सेक्टरों[5] में बंटे 39 अलग तरह के विकासशील परियोजनाओं तथा गतिविधियों की पहचान की। हमारे अध्ययन का क्षेत्र इस प्रकार है:

i. लेखापरीक्षा उद्देश्य 1 के संदर्भ में, हम लोगों ने उन परियोजनाओं को समाविष्ट किया जिन्हें जनवरी 2011 - जुलाई 2015 के बीच परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को छोड़कर सभी सेक्टरों में एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति दी गई।

ii. लेखापरीक्षा उद्देश्य 2 के संदर्भ में, हम लोगों ने उन परियोजनाओं[6] को समाविष्ट किया जिन्हें कैलेंडर वर्ष 2008-2012 के बीच परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को छोड़कर सभी सेक्टरों में एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई।

हम लोगों ने एमओईएफएंडसीसी में इसके क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओज) सहित सीपीसीबी तथा एसपीसीबी के अभिलेखों की जांच की। हमलोगों ने एमओईएफएंडसीसी तथा एमओईएफएंडसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों को परियोजना प्रस्तावकों (पीपीज) के द्वारा प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्टों की भी जांच की। हम लोगों ने स्वयं एसपीसीबीज के कर्मियों सहित पीपीज के परिसर में ईआईए रिपोर्ट में किए गए प्रतिबद्धताओं तथा ईसी की शर्तो के अनुपालन की जांच की।

हम लोगों ने 17 सितम्बर 2015 को एमओईएफएंडसीसी के साथ प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र, प्रणाली तथा नमूने पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद मंत्रालय और 33 चयनित राज्यो/संघ शासित[7] प्रदेशों में क्षेत्र आडिट शुरू हुए। निर्गम सम्मेलन का आयोजन 28 अक्तूबर 2016 को किया गया

---

[5] 1. नदी घाटी तथा जलविद्युतीय परियोजनाएं, 2. परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं, 3. थर्मल ऊर्जा परियोजनाएं 4. खनन-कोयला, 5. खनन-गैर कोयला, 6. मौलिक ढाँचा, 7. निर्माण और 8. उद्योग

[6] हम लोगों ने उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जिन्हें लेखापरीक्षा उद्देश्य 1 के लिए चुना गया था तथा जो पूर्ण हैं। इसमें 16 राज्यों में गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की 22 परियोजनाएं भी शामिल हैं।

[7] आंध्र प्रदेश, असम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सिफ़ारिशों पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्रालय का जवाब 31 अक्तूबर 2016 को प्राप्त हुआ। उत्तरों को उपयुक्त प्रासंगिक अध्यायों में शामिल किया गया है। आगे लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ साथ सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा दी गई टिप्पणी अनुबंध III के रूप में दी गई है।

1.10 लेखापरीक्षा मापदंड

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, 2006 के ईआईए अधिसूचना, इसके संशोधन और अन्य संबंधित परिपत्रो, कार्यालय ज्ञापन, निर्देश और एमओईएफएंडसीसी और अन्य नियामक अधिकारियों द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का लेखा परीक्षा का मापदंड हैं।

1.11 अभिस्वीकृति

हम लोग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा चयनित परियोजना प्रस्तावकों का सहयोग स्वीकार करते हैं कि उन्होंने निष्पादन लेखापरीक्षा के सफल पूर्ति को आगे बढ़ाया।